राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या –1593/2014/अजमेर
2. अपील संख्या –1594/2014/अजमेर
3. अपील संख्या –1595/2014/अजमेर
4. अपील संख्या –1596/2014/अजमेर
5. अपील संख्या –1597/2014/अजमेर
6. अपील संख्या –1598/2014/अजमेर
7. अपील संख्या –1599/2014/अजमेर
8. अपील संख्या –1600/2014/अजमेर
9. अपील संख्या –1601/2014/अजमेर
10. अपील संख्या –1602/2014/अजमेर
11. अपील संख्या –1603/2014/अजमेर

मैसर्स श्री सीमेंट लि. ब्यावर, अजमेर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, अजमेर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल. पाटौदी
सुश्री ईश्यु जैन
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 25.06.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है।
2. उक्त समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।
3. उक्त अपीलों में अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **'निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत् भिन्न–भिन्न प्रकरणों एवं अवधियों में पारित निर्धारण आदेश दिनांक 24.05.2013 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा न्यू इकाई द्वारा किये गये उत्पादन पर देय जमा कर योग्य राशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान स्वीकृत करने में इस अधिनियम के तहत् देय जमा कर योग्य राशि में से आगत कर घटाने/मुजरा (setoff) के पश्चात् शेष राशि कर संदेय योग्य होना अवधारित किये जाने संबंधी पारित निर्धारण आदेश की पुष्टि करने संबंधी पारित अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई है।

02/06/16

लगातार.....2

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी–व्यवहारी का अलौच्य अवधियों में अपीलार्थी को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अपीलार्थी की सूरतगढ़ की न्यू इकाई हेतु (Rajasthan Investment Promotion Scheme 2003) रिप्स योजना, 2003 के तहत् अधिसूचना क्रमांक F.4(18)FD/TAX/Div/2001 दिनांक 28.07.2003 के अनुसार अपीलार्थी को न्यू इकाई को उत्पादन किये गये उत्पाद पर देय जमा योग्य कर की राशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज, मजदूरी/रोजगार अनुदान राशि देय है।

5. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरणों में भिन्न–भिन्न अवधियों में अनुदान राशि स्वीकृत की गई एवं शेष अनुदान राशि चाही गई है, उनका सम्पूर्ण विवरण सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार सारणी में दर्शाया जा रहा है :–

अपील सं.	अनुदान आदेश अवधि	कर निर्धारण वर्ष	अपीलार्थी को स्वीकृत अनुदान राशि	अपीलार्थी द्वारा चाही गयी कुल अनुदान राशि	अपीलार्थी द्वारा चाही शेष अनुदान राशि
1593/14	01.04.10 से 30.06.10	2010–11	89,22,527/–	91,81,905/–	2,59,378/–
1594/14	01.07.12 से 30.09.12	2012–13	75,95,071/–	1,17,02,111/–	41,07,040/–
1595/14	01.10.12 से 31.12.10	2010–11	1,00,87,407/–	1,05,66,615/–	4,79,208/–
1596/14	01.01.11 से 31.03.11	2010–11	1,28,37,084/–	1,38,03,981/–	9,66,897/–
1597/14	01.04.11 से 30.06.11	2011–12	1,34,01,812/–	1,39,05,896/–	5,04,084/–
1598/14	01.07.11 से 30.09.11	2011–12	85,82,548/–	1,25,44,015/–	39,61,467/–
1599/14	01.10.11 से 31.12.11	2011–12	32,56,805/–	43,94,506/–	11,37,701/–
1600/14	01.01.12 से 31.03.12	2011–12	92,37,385/–	97,85,018/–	5,47,633/–
1601/14	01.04.12 से 30.06.12	2012–13	1,36,39,204/–	1,36,39,204/–	9,43,814/–
1602/14	01.07.12 से 30.09.12	2012–13	1,22,18,712/–	1,30,32,643/–	8,13,931/–
1603/14	01.10.12 से 31.12.12	2012–13	88,62,352/–	98,16,931/–	9,54,579/–

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि input tax credit की राशि जो डिलर द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे वैट बिलों में घटाया व दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार क्रेता डिलर द्वारा पूरा वैट जो चार्ज किया गया, उस पर क्रेता डिलर द्वारा input tax credit प्राप्त किया जा रहा है। क्योंकि input tax वह कर है, जो माल के क्रय करने पर अदा किया जाने योग्य है न कि माल के विक्रय पर। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रहा है कि डिलर द्वारा जो input tax प्राप्त किया गया उसे वैट बिल में वैट चार्ज से घटाने (deduct) की आवश्यकता नहीं है तथा उसे रिप्स 2003 के तहत् अतिरिक्त कर की गणना हेतु भी घटाने/मुजरा (setoff)की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार

02/06/16

लगातार.....3

निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य राशि की गणना में जमा कर योग्य राशि में से आगत कर घटाने/मुजरा (setoff) के पश्चात् शेष राशि संदेय कर (Tax payable) योग्य अवधारित करना त्रुटि पूर्ण है।

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने **"अधिनियम"** की धारा 4 व धारा 17 के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर यह कथन किया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेशों में **"संदेय कर" (Tax Payable)** की व्याख्या मनमर्जी से की है, जो कि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा **"रिप्स—2003"** में अंकित शब्दावली **"संदेय कर" (Tax Payable)** के संबंध में 10.10.2008 को **स्पष्टीकरण (Clarification)** जारी किया गया। रिप्स 2003 योजना राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांकित 28.07.2003 से लागू की गई है। अतः ऐसी स्थिति में **स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 से पूर्व भूतलक्षी प्रभाव से रिप्स 2003 के संबंध में** लागू किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः **"संदेय कर" (Tax Payable)** शब्दावली की व्याख्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाकर अपीलें स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

8. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि संदेय कर की गणना इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार की गई है। जिसके अनुसार इस अधिनियम के तहत् देय कर (tax leviable under this Act.) में से input tax को घटाने/मुजरा (setoff) के पश्चात् संदेय कर (tax payable) के 50 प्रतिशत तक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त अनुदान रिप्स 2003 में उल्लेखित शर्तें के अनुसार ही प्रदान किया गया है। यही सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत RSWM LIMITED, UMA POLYMERS LTD. V/s State of Rajasthan And Others निर्णय दिनांक 24.11.2011 में प्रतिपादित किया गया। अतः उपर्युक्त समस्त अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. जहां तक वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 का भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने की अपीलार्थी की आपत्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि न्यायिक दृष्टांत RSWM LIMITED, UMA POLYMERS LTD. V/s State of Rajasthan And Others के पैरा सं. 10 में

02/06/16

लगातार.....4

यह अभिनिर्धारित किया गया कि :–

".....The clarification dated October 10,2008, being merely a clarification of interpretation of terms already existing would apply to all pending proceedings also and for the period prior to Ocotber 10,2008, since the commencement of RIPS, 2003 itself."

11. इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 पहले से ही जो प्रावधान अस्तित्व में है उनके निर्वचन के संबंध में है, जो कि निलम्बित कार्यवाहियों जो 10.10.2008 से पूर्व की है, यहां तक कि रिप्स 2003 के लागू होने के दिनांक से प्रवत होगी। अतः उक्त स्पष्टीकरण रिप्स 2003 के लागू होने की दिनांक से प्रभावी है। इस प्रकार अपीलार्थी की स्पष्टीकरण 10.10.2008 के पूर्व से लागू नहीं होने की आपत्ति सारहीन है।

12. उक्त प्रकरण में अन्तवर्लित विवाद के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा 17(1) **पर विचार किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 17(1) में Tax Payable by a dealer** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:–

(1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section
(2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under :-

T=(O+R+P)-I

where -

T is net tax payable

O is amount of output tax;

R is amount of reverse tax;

P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4;

I is tha amount of input tax;

13. यहां वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा रिप्स 2003 योजना के संबंध दिनांक 10.10.2008 को जारी स्पष्टीकरण F.4(18)FD/ TAX/Div/2001 के स्पष्टीकरण सं. 3 पर प्रकाश डालना आवश्यक है जो इस प्रकार है:–

"The term 'tax payable' under the Rajasthan Value added Tax Act., 2003, is the amount of tax leviable under the act less the amount of input-tax credit, if any, for the purpose of the Scheme".

14. इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से यह विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में भिन्न–भिन्न प्रकरणों व अलौच्य अवधियों कुल अनुदान राशि की गणना आगत कर के समायोजन के पश्चात् नहीं की है। अतः अदा किये गये कर (Tax payable) की गणना में निगत कर (Output tax) में से आगत कर (input tax) को घटाकर/मुजरा (setoff) कर नहीं की गई।

07/06/16

लगातार.....5

15. जहां तक निर्धारण अधिकारी द्वारा अदा किये गये कर का 50 प्रतिशत अनुदान राशि के संबंध में पारित आदेश व इस संबंध में पारित अपीलीय आदेश का प्रश्न है, इस संबंध में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत RSWM LIMITED, UMA POLYMERS LTD. V/s State of Rajasthan And Others निर्णय दिनांक 24.11.2011, संदाय कर (Tax Payable) के संबंध प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकार है :–

"……The Contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter "T" which defines net tax payable is O [(output tax) + R(reverse tax)+ P (tax payable under section 4(2)]–I (Input tax). Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act……"

उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्णरूप से प्रत्यार्थी राजस्व को मदद करते है।

16. इस प्रकार, उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत निर्णय दिनांक 24.11.2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संदाय कर (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में निर्गत कर (output tax) में से आगत कर (input tax)को घटाने/मुजरा (setoff) के पश्चात् शेष राशि संदेय कर (Tax payable) है।

17. इस प्रकार अपीलीय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान के लाभ की गणना अदा किये गये कर (Tax payable) की गणना में निर्गत कर (Output tax) में से आगत कर (input tax) को घटाकर/मुजरा (setoff) कर की गई। वह राशि संदेय कर (Tax payable) है, जिसके 50 प्रतिशत की छूट अनुदान के रूप में रिप्स 2003 के तहत् स्वीकृत की गई है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उपर्युक्त समस्त प्रकरणों में पारित भिन्न भिन्न आदेश दिनांकित 24.05.2013 पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है। अतः इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

18. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त अपील सं 1593/ 2014 लगायत 1603/2014 अस्वीकार की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।

20. उक्त निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जायें।

02/06/16
(राजीव चौधरी)
सदस्य

2.6.2016
(मदन लाल)
सदस्य